

पेट्रोल पम्प पर तैनात गनमैन को गोली मारकर लाईसेन्सी बन्दूक लूटकर ले जाने वाले गैंग का खुलासा व 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार व एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक मोटर साईकिल व लूटी गयी लाईसेन्सी बन्दूक डीबीबीएल मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद-

दिनांक 17.08.2020 को वादी श्री पंकज कश्यप मैनेजर राधेश्याम पेट्रोल पम्प ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल पम्प पर तैनात सुरक्षा गार्ड/गनमैन सर्वेश को पिस्टल से गोली मारकर लाईसेन्सी बन्दूक लूटकर ले जाने के सम्बंध में मु0अ0सं0 563/20 धारा 394 भादवि पंजीकृत कराया था। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुए दिनांक 23.08.2020 को रात्रि में नवीपुर जाने वाली रोड पर पैरीफेरल रोड के नीचे घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण मनीष, विनीत व मनोज को लूटी गई लाईसेन्सी बन्दूक डीबीबीएल 12 बोर न0 18873-92 व एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक गलत नंबर प्लेट लगी मोटर साईकिल पैशन प्रो के साथ गिरफ्तार कर लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। इनका एक साथी राहुल पुत्र नरेश नि0 ग्राम शाहपुर निज मोरटा थाना मुरादनगर गाजियाबाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है तथा अभियुक्त मनोज पूर्व में जिला बदर रह चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि मनोज एक गैंग बनाना चाहता था, गैंग को चलाने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। लूट की यह पूरी योजना मनोज ने घूकना स्थित अपने घर में बनाई। वहीं पर उसने राहुल, मनीष व विनीत को बुलाया तथा हथियार प्राप्त करने के लिए बसंतपुर सैंतली सुनसान जगह में स्थित राधेश्याम पेट्रोल पंप से 16/17.08.2020 की रात्रि में राहुल, मनीष विनीत द्वारा पेट्रोल पम्प के गार्ड सर्वेश को पिस्टल से गोली मारकर घायल करके उसकी लाइसेन्सी बन्दूक को लूट कर गोविंद नगर स्थित सुनसान मकान में छुपा आए थे, वहां से लूट कर भागते समय राहुल की पिस्टल से चली गोली मनीष के कूल्हे में भी लगी थी और वह तब से ही जख्मी है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त -

1. मनीष पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद
2. विनीत उर्फ हरि सिंह पुत्र गंगाशरण नि0 ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर गा0बाद
3. मनोज पुत्र रेवती शरण नि0 ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद

नाम पता फरार अभियुक्त -

1. राहुल पुत्र नरेश नि0 ग्राम शाहपुर निज मोरटा थाना मुरादनगर गाजियाबाद

अभियुक्त मनीष का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 414/17 धारा 323,504,506 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 442/17 धारा 147,148,149,336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 303/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद
- मु0अ0सं0 563/20 धारा 394,397,411,120-बी भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद

- मु0अ0सं0 574/20 धारा 41/102 सीआरपीसी व 482 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद

अभियुक्त विनीत उर्फ हरि सिंह का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 357/18 धारा 147,148,149,452,307,504,323 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 563/20 धारा 394,397,411,120-बी भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 574/20 धारा 41/102 सीआरपीसी व 482 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 575/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

अभियुक्त मनोज का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 414/17 धारा 323,504,506 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 442/17 धारा 147,148,149,336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 447/17 धारा 3/4 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 357/18 धारा 147,148,149,452,307,323,504 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 निल/19 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मुरादनगर गा0बाद
- मु0अ0सं0 303/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद
- मु0अ0सं0 563/20 धारा 394,397,411,120-बी भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 574/20 धारा 41/102 सीआरपीसी व 482 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद

बरामदगी

1. लूटी गयी लाईसेंसी बन्दूक डीबीबीएल मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. एक अदद नाजायज तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक गलत नंबर प्लेट लगी मोटर साईकिल पैशन प्रो

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नफर अभि0 मय पैड (पर्चे) सट्टा 620/रु0 दो

गड्डी पत्ते 17 खाली पैड के गिरफ्तार -

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा रात्रि चैकिंग में अभि0 अजय शर्मा पुत्र प्रभूदयाल शर्मा नि0 D 80 गोविन्दपुरी मोदीनगर हाल पता किराये का मकान सितावीनगर बडौत जनपद बागपत मय पैड (पर्चे) सट्टा 620/रु0 दो गड्डी पत्ते 17 खाली पैड गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभि0 द्वारा थाना क्षेत्र में सट्टा पर्ची की खाई बाडी कर अवैध धन अर्जीत करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अभि0 अजय शर्मा पुत्र प्रभूदयाल शर्मा नि0 D 80 गोविन्दपुरी मोदीनगर हाल पता किराये का मकान सितावीनगर बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी -

1. पैड (पर्चे) सट्टा
2. 620/रु0
3. दो गड्डी पत्ते 17 खाली पैड

आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 418/2020 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 जनपद गा0बाद ।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 2 नफर अभि0 मय 2 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा व सीज शुदा कार डस्टर कार न0 DL 8C S 9104 के गिरफ्तार - थाना कौशाम्बी पुलिस

द्वारा अभि0गण (1). नीरज भाटी पुत्र राजकुमार भाटिया उम्र-30 वर्ष नि0 999/7 वार्ड न0 7 महारौली नई दिल्ली 30 (2). पवन कुमार पुत्र छाजूराम उम्र 32 वर्ष निवासी नि0 999/7 वार्ड न0 7 महारौली नई दिल्ली -30 मय दो किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा व सीज शुदा कार डस्टर कार न0 DL 8C S 9104 के गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभि0गण द्वारा NCR क्षेत्र में नाजायज गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीरज भाटी पुत्र राजकुमार भाटिया उम्र 30 वर्ष नि0 999/7 वार्ड न0 7 महारौली नई दिल्ली -30
2. पवन कुमार पुत्र छाजूराम उम्र 32 वर्ष निवासी नि0 999/7 वार्ड न0 7 महारौली नई दिल्ली -30

बरामदगी -

1. एक किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बनाम अभि0 पवन कुमार
2. एक किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बनाम अभि0 नीरज भाटी
3. सीज शुदा डस्टर कार न0 DL 8C S 9104

आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 419/2020 धारा 8/20 NDPS ACT जनपद गा0बाद ।
2. मु0अ0सं0 420/2020 धारा 8/20 NDPS ACT जनपद गा0बाद ।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार- थाना विजयनगर पुलिस

द्वारा दिनांक 23/08/2020 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त सलमान को नाजायज देशी शराब के साथ थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 48 पव्वे नाजायज देशी शराब बरामद हुए।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- सलमान पुत्र हफीज, निवासी पानी के प्लांट के पास, किराये का मकान हारुन, मिर्जापुर, थाना विजयनगर गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स.1124/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम सलमान

बरामदगी का विवरण

1- 48 पव्वे नाजायज देशी शराब अभियुक्त सलमान से बरामद सम्ब0 मु.अ.सं. 1124/20

थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा हिन्दुस्तान यूनिलीवर व एच0पी0 कम्पनी का नकली पैकिंग

वाक्स बनाने वाला अभि0 गिरफ्तार- थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिनांक 22.8.20 को थाना ट्रोनिकासिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 503/20 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 काफी राइट एक्ट में वांछित अभियुक्त अजीम अहमद पुत्र जमशेद अहमद नि0 हाल पता शार्प ग्रफिक्स डी-28 सोक्टर 5-6 आरएमएस माल के पीछे थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद को समय 22.36 वजे सी -10 चौराहे से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का तरीका -अभि0 अजीम अहमद द्वारा अपनी फैक्ट्री मे नामी ग्रामी कम्पनियों के नाम की फर्जी डाई बनाकर पैकिंग बाक्स तैयार करके ब्रिकी करके ब्राण्डेड कम्पनियों की छवि खराब कर नुकसान पहुंचाना।

नाम पता गिरफ्तार अभि0 -

अजीम अहमद पुत्र जमशेद अहमद नि0 हाल पता शार्प ग्रफिक्स डी-28 सोक्टर 5-6 आरएमएस माल के पीछे थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

मु0अ0सं0-503/20 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 काफी राइट एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
बरामदगी

1. हिन्दुस्तान यूनिलीवर व एच0पी0 कम्पनी के लगभग 40000 नकली पैकिंग वाक्स (कीमत लगभग 2 लाख रुपये)

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा कब्जे से 02 तमन्चा 315 बोर 02 पौनिया(मस्कट) 315 बोर नाजायज बरामद-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये अवैध अस्लाहों की तस्करी करने वाले गैंग के दो सदस्य अभियुक्तगण 1. शाहरुख पुत्र जाकिर नि0 दौलतनगर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद 2. फैसल पुत्र जमालुद्दीन नि0 उपरोक्त को दिनांक 23.8.20 को मन्डोला आवास विकास से गिरफ्तार कर 02 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद पौनिया (मस्कट) 315 बोर नाजायज बरामद किये गये हैं। अभि0 अवैध अस्लाह की तस्करी करने वाले शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनका एक साथी फरार है। जिसकी तलाश हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया है।

1. **पूछताछ का विवरण** -अभि0गणो ने पूछताछ करने पर बताया कि उन्होंने अवैध अस्लाहों की तस्करी करने हेतु एक गैंग बना रखा है इन अस्लाहों को उन्होंने एक अन्य व्यक्ति से खरीदा था। इन अस्लाहों को आज किसी को देना था।

2- नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. शाहरुख पुत्र जाकिर नि0 दौलतनगर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
2. फैसल पुत्र जमालुद्दीन नि0 दौलतनगर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

3-आपराधिक इतिहास -

1. शाहरुख पुत्र जाकिर नि0 दौलतनगर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
मु0अ0सं0 505/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
2. फैसल पुत्र जमालुद्दीन नि0 दौलतनगर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
मु0अ0सं0 506/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

4-बरामदगी का विवरण -

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक विडियो / पोस्ट करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 22.08.2020 को वादी श्री ललित शर्मा पुत्र बच्चू शर्मा नि0 संगम विहार गली न0 4 थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई कि सोनू नि0 पुस्ता चौकी के पीछे विहारी कालौनी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद द्वारा सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो पोस्ट की गयी है जिसमें माननीय विधायक लोनी व सभासद को गाली गलौज की गई है जिसका समर्थन शौकीन मलिक निवासी लोनी द्वारा किया गया है इस सूचना पर तत्काल अभियोग दर्ज कर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभि0गण की तलाश कर दिनांक 23.08.2020 को प्रातः 07.05 वजे अभियुक्त 1. सोनू पुत्र सुशील कुमार नि0 पुस्ता चौकी के पीछे विहारी कालौनी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद 2. शौकीन मलिक पुत्र इस्लाम नि0 वलराज हाल के पास पूजा कालौनी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1.सोनू पुत्र सुशील कुमार नि0 पुस्ता चौकी के पीछे विहारी कालौनी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
- 2.शौकीन मलिक पुत्र इस्लाम नि0 वलराज हाल के पास पूजा कालौनी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 502/20 धारा 505 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण -

1. 02 अदद मोबाईल जिससे फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गयी।

एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र मे फैक्ट्री व गोदामों मे लूट/चोरी की घटना करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , गायब की गयी सिगरेट की 189 पेटी (कीमत करीब 2.3 करोड रूपये) तथा घटना में प्रयोग किया गया वाहन टाटा 407 केंन्टर बरामद- थाना

साहिबाबाद पर दिनांक 20.08.2020 को वादी आनन्द फैक्ट्री एरिया स्थित डीएम लाजिस्टिक कम्पनी के चौकीदार श्री सुरेश ने 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे गार्ड रूम मे बांधकर गोदाम से सिगरेट के बॉक्स लूटकर ले जाने के सम्बंध में मु0अ0सं0 855/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया था । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के निर्देशन में उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी थी । उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चोरी किये गये माल व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित की गयी टीम द्वारा मौके के सीसीटीवी कैमरों से घटना में प्रयुक्त वाहन की पहचान कर, वाहन का हुलिया , वाहन का रंग , मिटाई गई नम्बर प्लेट, गाडी पर लगे निशान अदि की आधुनिक तकनीक से गहनता से जांच कर, गाजियाबाद व दिल्ली बार्डर क्षेत्र के कैमरों कि सीसीटीवी फुटेजो को चैक किया गया , अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी करते हुये आज दिनांक 23.08.2020 को दिल्ली बार्डर तुलसीनिकेतन क्षेत्र से दो अभियुक्त 1. वीरेन्द्रपाल पुत्र रामजतनपाल निवासी म0न0 B 1725 गली न0 24 द्वितीय पुस्ता सोनिया बिहार करावल नगर नई दिल्ली व 2. जाफर पुत्र खलीलउल्ला निवासी म0न0 595 गली न0

7 द्वितीय पुस्ता सोनिया बिहार करावल नगर नई दिल्ली को गायब की गयी मालब्रो कम्पनी की 189 पेटी सिगरेट (कीमत करीब 2.3 करोड रूपये) सहित मय घटना में प्रयुक्त वाहन न0 DL 1LAD 8965 टाटा 407 केन्टर रंग सफेद के साथ गिरफ्तार किया गया। तथा घटना में संलिप्त फरार अभियुक्तगण 1. सद्दाम उर्फ पंडित उर्फ गुरुजी निवासी सोनिया बिहार 2. सलमान पुत्र नामालूम निवासी सोनिया बिहार 3. राहुल पुत्र नामालूम निवासी सोनिया बिहार कि गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

अभि0गण से पूछताछ का विवरण

अभि0गण से कडाई से पूछताछ करने पर अभि0 वीरेन्द्र पाल उपरोक्त ने बताया कि साहब ये गाड़ी न0 DL 1LAD 8965 जो आपने हमसे बरामद की है यह मेरी ही गाड़ी है, मैं अपने साथी पंडित जी उर्फ सद्दाम उर्फ गुरुजी जिसके बाप का नाम मुझ नहीं मालूम तथा सलमान व जाफर के साथ मिलकर पंडित जी के बताये अनुसार कि आनन्द फेक्ट्री एरिया में एक सिगरेट का गोदाम है जहां से हम लोग सिगरेट के पैकेट गायब करके बेच देंगे जिससे काफी मोटा पैसा मिल जायेगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाकर दिनांक 20.08.2020 कि सुबह करीब 4 बजे आनन्द इन्डस्ट्रीयल एरिया में सिगरेट के गोदाम पर , जिसे पंडित जी द्वारा पहले ही देख लिया गया था , वहां पर हम चारो लोग चुपचाप गेट खोलकर गाडी समेत अन्दर गये तथा तथा मौजूद गार्ड को गार्ड रूम मे बन्द करके गोदाम का ताला तोडकर वहां पर रखे 189 मैलब्रो सिगरेट (जो अबू धाबी, दुबई व फिलीपींस मे बनकर इण्डिया मे बेची जाती है।) की पैटियों को गाड़ी में भरकर बेचने के लिये गायब कर ले गये थे। आज जाफर ने हमें गायब की गयी सिगरेट की पैटियों को अच्छे दामों में बिकवाने के लिए कहा था, खरीददार से बात हो गयी थी। इसलिये आज ही हम सभी सिगरेट की पैटियों को लेकर दिल्ली में बेचने के लिए ही जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया , आपके द्वारा गाड़ी रूकवाने पर हमारे साथी जो इसी गाड़ी में पीछे बैठे थे वहां से भाग गये है। जिनके नाम 1. सद्दाम उर्फ पंडित उर्फ गुरुजी 2. सलमान पुत्र नामालूम 3. राहुल पुत्र नामालूम हैं जो सोनिया बिहार दिल्ली के रहने वाले है। उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। इस प्रकरण मे गोदाम के मालिक व गार्ड से भी घटना के संबंध मे विस्तृत जानकारी की जा रही है बात चीत से पता चला कि पूरा माल इंश्योर्ड है। अभि0गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

1. वीरेन्द्रपाल पुत्र रामजतनपाल निवासी म0न0 B 1725 गली न0 24 द्वितीय पुस्ता सोनिया बिहार करावल नगर नई दिल्ली।
2. जाफर पुत्र खलीलउल्ला निवासी म0न0 595 गली न0 7 द्वितीय पुस्ता सोनिया बिहार करावल नगर नई दिल्ली।

नाम पता फरार अभियुक्त गण

1. सद्दाम उर्फ पंडित उर्फ गुरुजी निवासी सोनिया बिहार नई दिल्ली।
2. सलमान पुत्र नामालूम निवासी सोनिया बिहार नई दिल्ली।
3. राहुल पुत्र नामालूम जो सोनिया बिहार नई दिल्ली।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण

1. मालब्रो कम्पनी की सिगरेट की 189 पेटीयां (कीमत करीब 2.3 करोड रूपये)
2. टाटा 407 केन्टर न0 DL 1LAD 8965 (घटना में प्रयुक्त वाहन)

48 पव्वे अरूणाचल प्रदेश अवैध अपमिश्रित शराब के साथ 01 तस्कर

गिरफ्तार- थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा दिनांक 22.08.2020 को समय 23:00 बजे उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका

शराब मे मिलावट कर तस्करी करना

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

इस्लाम मौहम्मद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी जाकिर के मकान मं किरायेदार ईदगाह के सामने ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूलपता- ग्राम बल्लोपुर थाना इकमी घाट जनपद दरभंगा बिहार

बरामदगी का विवरण -

1. 48 पव्वे CRAZY ROMEO मार्का गैर प्रान्त अरूणाचल प्रदेश अग्रेजी शराब ।
2. यूरिया
3. अपमिश्रण द्रव्य 02 लीटर

पजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 288/20 धारा 60/63 आब0अधि0 व 272 भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद